

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-6/4682/पांच-8-2015-म(172)/2012टी०सी०

लखनऊ : दिनांक 21 जनवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-999/चि०-३-२०१०-०३(नियुक्ति)/२०१०, दिनांक १५-०४-२०१० द्वारा डा० वीरेन्द्र कुमार, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, महोबा के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। इस क्रम में डा० कुमार द्वारा दिनांक १४-०५-२०१० को मुख्य चिकित्साधिकारी, महोबा के अधीन योगदान आख्या प्रस्तुत की गई। मुख्य चिकित्साधिकारी, महोबा द्वारा डा० कुमार की तैनाती सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुलपहाड़, महोबा में की गयी, जहां डा० वीरेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक १५-०५-२०१० को कार्यभार ग्रहण किया गया तथा नवम्बर, २०१० तक कार्य किया गया। इसके पश्चात डा० वीरेन्द्र कुमार अपने पिता की मृत्यु के कारण अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये। डा० कुमार द्वारा पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, महोबा द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या दिनांक ३०-०९-२०१५ एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा० वीरेन्द्र कुमार, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर के अधीन योगदान कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- डा० वीरेन्द्र कुमार, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक २२-०२-२०१६ तक मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

जी०सी० कठेरिया  
संयुक्त सचिव।

क्रमशः

संख्या-6/4682(1)/पांच-8-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा० वीरेन्द्र कुमार, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 22-02-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी/चित्रकूट धाम मण्डल।
- 5- मुख्य चिकित्साधिकारी, महोबा/गाजीपुर।
- 6- कोषाधिकारी, महोबा/गाजीपुर।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 8- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

( शिवगोपाल सिंह )

अनु सचिव।